In,

The court of Sub-Judge 1st, Patna City

T.S.-103/2020

08.09.2021	आज Physical Court है। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी अपने दाखिल आवेदन पत्र U/o (1) Rule 10 (2) r/w Section 151 C.P.C.को संचालित कर निवेदन करते है कि इस वाद के प्रतिवादी संख्या (1) एवं (2) अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति को बेच दिया है। अत: इन्हें वाद में प्रतिवादी बनाया जाय। वादी के विद्वान अधिवक्ता का ।सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद पत्र के अनुसूची में सूचीबद्ध सम्पत्ति का स्थानान्तरण वाद लंबित रहते हुए किया गया है। प्रतिवादी द्वारा जिस सम्पत्ति की बिक्री की गयी है इसका वर्णन वाद पत्र के अनुसूची में है। इसके संबंध में वादी द्वारा विक्रय पत्र की छायाप्रति भी दाखिल की गयी है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस वाद में प्रतिवादीगण की उपस्थिति नहीं हुई है तथा वाद उनकी प्रारंभिक अवस्था में है। ऐसी दशा में बिक्री की गयी सम्पत्ति के क्रेता इस वाद में Necessary Party है तथा उनका इस वाद में उपस्थित रहना विवादों का प्रभावी न्यय निर्णयन के लिए आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी का आवेदन पत्र शपथ-युक्त है। अत: वादी की ओर से दाखिल आवेदन पत्र U/o (1) Rule 10 (2) r/w Section 151 C.P.C.न्यायहित में स्वीकृत किया जाता हे। कार्यालय लिपिक क्रेता का नाम वाद पत्र में प्रतिवादी के क्रम में जोड़े। तदोपरान्त वादी नवांकित प्रतिवादी के उपस्थिति हेतु सम्मन की अपेक्षिताएं दाखिल करे। तत्पश्चात कार्यालय इसे निर्गत करे। 91ल्ते 6.10.21 अवर न्यायाधीश, प्रथम	